समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, कटिहार
☎ :- 06452-230581(O)
:- 06452-230583(R)
:- 91-9473191375
Fax No. :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

गोपनीय प्रशाखा

–:: आ दे श ::–

गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020– DM–1 (A), दिनांक 01.05.2020 द्वारा देश में COVID-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के मददेनजर लॉकडाउन के अवधि बढ़ाये जाने (17.05.2020 तक) के दौरान कतिपय आवश्यक सेवाओं के संचालन में छूट प्रदान करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या– जी/आपदा–06–02/2020–298/अ०मु०स०को, पटना दिनांक 03.05.2020 द्वारा अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके आलोक में संपूर्ण बिहार राज्य को दो ही प्रकार के जोन में विभक्त किया गया है। उक्त विभाजन में कटिहार जिला Orange Zone में शामिल है।

भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के साथ संलग्न Guideline की कंडिका–10 में निम्नांकित प्रावधान किया गया है:–

"All other activities will be permitted activities, which are not specifically prohibited/permitted with restrictions in the various Zones, under these guidelines. However, State/UTs, based on their assessment of the situation, and with the primary objective of keeping the spread of COVID-19 in check, may allow only select activities from out of the permitted activities, with such restrictions as felt necessary."

गृह विभाग, बिहार, पटना के उक्त आदेश की कंडिका 3(ग) में दिये गये निदेशानुसार Orange Zone अर्थात् Red Zone से भिन्न सभी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमान्य निम्नलिखित गतिविधियों को जारी रखने का निदेश दिया गया है–

(i) सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई–कार्मस।
(ii) सभी प्रकार के निर्माण कार्य।
(iii) सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन।
(iv) बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून।

तदनुसार कटिहार जिलान्तर्गत उपर्युक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1209, दिनांक 07.05.2020 द्वारा विस्तृत रूप से विभिन्न दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त Orange Zone के लिए भी वही आदेश होगा जो Red Zone के लिए है अर्थात् उपरोक्त कंडिका के अतिरिक्त जिला में तत्काल केवल आवश्यक वस्तुओं के बिक्री के लिए दुकानें खोलने की ही अनुमति होगी, जो पूर्व से भी अनुमान्य है। आवश्यक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होने की स्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

बाल काटने की दुकानें एवं सैलून निम्नांकित शर्त्तो के पूर्ण अनुपालन पर ही खोले जायेंगे :–

(a) प्रत्येक दुकान/सैलून में उसकी क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत स्टाफ एवं 50 प्रतिशत ग्राहक ही जा सकेंगें।
(b) दुकानदार एवं ग्राहक दोनों ही अच्छी गुणवत्ता का मास्क का प्रयोग करेंगे।
(c) दुकानदार को दुकान पर साबुन, पानी एवं सैनिटाईजर की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।
(d) बाल काटने के पूर्व सभी औजारों यथा–कैंची, कंघी, उस्तरा, ब्लेड, डाई, तौलिया एवं अन्य सामग्रियों का पूर्ण सैनिटाईजेशन करना आवश्यक होगा।
(e) दुकान पर कोई भीड़–भाड़ उत्पन्न नहीं किया जायेगा। तथा सोशल डिस्टेंसिंग/पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूर्ण अनुपालन करना आवश्यक होगा।

नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अचंलाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष/ओ०पी० अध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करायें। उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन के

स्थिति में दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के मालिक के विरूद्ध The Epidemic Diseases Act, 1897 एवं Disaster Management Act, 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1217 **/सी०** **दिनांक** 08 **/**05 **/2020 ई०।**

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम/अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार/मनिहारी/बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी कोषांगों के वरीय/नोडल पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थानाध्यक्ष/ ओ०पी० अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी/बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ तथा ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।